संख्या- ~~-/2026/~~ /001-E-1965728

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत कार्यों/परियोजनाओं हेतु धनराशि रु. 1317.15 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित एकमुश्त धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- IT/130/ANY/2026 दिनांक 24.03.2025 तथा पत्र संख्या- पत्र संख्या- IT/136/ANY/2026 दिनांक 25.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कतिपय निकायों में विभिन्न परियोजनाओं हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-I/1275255/2026 दिनांक 21.03.2026 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत प्रविधानित धनराशि रू०-100 करोड़ के सापेक्ष कतिपय कार्यों यथा- तालाब सौन्दर्यीकरण, सड़क, खेल का मैदान, सीसीटीवी, झूले एवं खेल उपकरण, बस स्टॉप, पार्क, अतिरिक्त कार्यालय कक्ष, रैन बसेरा, आपदा राहत भवन, डिजिटल लाइब्रेरी/अध्ययन केंद्र, अन्य (आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल का कायाकल्प) हेतु कुल लागत रुपये 7104.72 लाख (रुपये इकहत्तर करोड़ चार लाख बहत्तर हजार मात्र) की द्वितीय कार्ययोजना निर्गत की गयी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 में "लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 800-अन्य 12-आकांक्षी नगर योजना-35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" अन्तर्गत निम्नलिखित तालिकानुसार जनपद- गोरखपुर, बलिया, शाहजहाँपुर, सिद्धार्थनगर, बांदा, कुशीनगर, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर व सुलतानपुर की नगर पंचायतो में विभिन्न निर्माण कार्यों के पृथक-पृथक निर्माण कार्यों की परियोजनाओं हेतु **कुल धनराशि रु. 1317.15 लाख (रूपये तेरह करोड़ सत्रह लाख पन्द्रह हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित एकमुश्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

जनपद का नाम	निकाय का नाम	कार्य का नाम	कार्ययोजना के अनुसार स्वीकृत धनराशि	डी0पी0आर0/ आगणन के अनुसार धनराशि	A&OE (2%)	IEC (1%)	निर्गत की जाने वाली प्रशासकीय व अन्य मद (A&OE& IEC) तथा वित्तीय स्वीकृति की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8(5+6+7)
गोरखपुर	Ghaghasra Bazar	नगर पंचायत घघसरा बाज़ार के वार्ड न 11 में खेल के मैदान का निर्माण कार्य					
	Ghaghasra Bazar Total		102.49	93.08	1.57	0.79	95.44
गोरखपुर	Uruva Bazar	नगर पंचायत उरूवा के संयुक्त वार्ड नं० 15/1 उरूवा बाजार में खेल मैदान का निर्माण कार्य।		60.23			
	Uruva Bazar	नगर पंचायत उरूवा के वार्ड नं०14 में माल्हनपार		7.56			

		रोड पर बस स्टॉप (यात्री निवास निर्माण कार्य।					
	Uruva Bazar	नगर पंचायत उरूवा के वार्ड नं० 14 पोखरे के बगल में पार्क निर्माण कार्य।		35.11			
	Uruva Bazar	नगर पंचायत उरूवा रामजानकी मार्ग पर बस स्टॉप (यात्री निवास निर्माण कार्य।		07.56			
	Uruva Bazar Total		136.70	110.46	2.2092	1.1046	113.77
बलिया	Nagra	वार्ड नं0 09 में स्टेंट बैंक से शहबान स्कूल होते हुए जूनियर हाई स्कूल तक सी.सी. रोड का निमार्ण कार्य।					
	Nagra Total		51.50	51.5	1.03	0.515	51.5
शाहजहॉपुर	Nigoheen	मिनी स्टेडियम वर्क					
	Nigoheen Total		119.48	112.53	2.2506	1.1253	115.9059
सिद्धार्थनगर	Badhani Chapha	नगर पंचायत बढ़नीचाफा के कम्पोजिट विद्यालय आहिरौला में ई0स0रो0 लैब का अवस्थापना का कार्य।		12.47			
	Badhani Chapha	नगर पंचायत बढ़नीचाफा के सीमान्तर्गत खेल मैदान हेतु बाउण्ड्रीवाल एंव प्लेटफार्म का निर्माण कार्य।		38.08			
	Badhani Chapha	नगर पंचायत बढ़नीचाफा के अन्तर्गत सांवपुरा में घाट सौंदर्यीकरण निर्माण का निर्माण कार्य।		86.64			
	Badhani Chapha Total		138.43	137.19	2.7438	1.3719	138.43
सिद्धार्थनगर	Bharat Bhaari	नगर पंचायत भारत भारी के वार्ड नं0- 06, में रूधौली- डुमरियागंज मार्ग से एम0आर0एफ0 सेन्टर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।					
	Bharat Bhaari	नगर पंचायत भारत भारी के वार्ड नं0- 12 में पुलिया से कान्हा गोषाला तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।					
	Bharat Bhaari Total		81.33	81	1.62	0.81	81.33
सिद्धार्थनगर	Shohratgarh	नगर पंचायत शोहरतगढ़ के वार्ड सं0-01 मुहल्ला- अम्बेडकर नगर में स्थित स्टेडियम बाउण्ड्रीवाल, शौचालय, चेन्ज रूम, बैठनें की व्यवस्था का		90.07			

		निर्माण कार्य व पानी की व्यवस्था कार्य।					
	Shohratgarh	नगर पंचायत शोहरतगढ़ के वार्ड सं0-04 मुहल्ला-दशरथ नगर मे रेन बसेरा का निर्माण कार्य।		54.2			
	Shohratgarh	नगर पंचायत शोहरतगढ़ के वार्ड सं0-04 मुहल्ला-दशरथ नगर में चेतिया मोड़ पर बस स्टाप का निर्माण कार्य।		7.54			
	Shohratgarh	नगर पंचायत शोहरतगढ़ के वार्ड सं0-07 मुहल्ला-सुभाष नगर में बस स्टाप का निर्माण कार्य।		7.54			
	Shohratgarh Total		184.97	159.35	3.187	1.5935	164.1305
बांदा	Naraini	मोहल्ला देविन नगर में प्रजापति मास्टर के मकान से प्राईमरी स्कूल तक सी0सी0 रोड़ व नाली निर्माण कार्य।					
	Naraini	नगर पंचायत नरैनी कार्यालय में अतिरिक्त कक्ष रूम का निर्माण कार्य।					
	Naraini Total		54.53	52.94	1.0588	0.5294	54.5282
कुशीनगर	Fazilnagar	नगर पंचायत फाजिलनगर पिपरारज्जब चौराहे पर बस स्टाप हेतु यात्री प्रतिक्षालय का निर्माण कार्य।					
	Fazilnagar Total		10.25	8.386	0.16772	0.08386	8.63758
मुरादाबाद	Mahmoodpur Mafi	वार्ड न0-01 बरखेड़ा में रेन बसेरे का निर्माण कार्य।		47.55			
	Mahmoodpur Mafi	नगर पंचायत महमूदपुर माफी मे 06 यात्री षेड का निर्माण कार्य।		73.776			
	Mahmoodpur Mafi Total		138.09	121.326	2.42652	1.21326	124.996
प्रतापगढ़	Heeraganj Bazar	पक्की सड़क से नगर पंचायत हीरागंज बाजार कार्यालय तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।		30.38			
	Heeraganj Bazar	वार्ड संख्या 04 बलीपुर में खेल मैदान निर्माण कार्य।		94.12			
	Heeraganj Bazar	नगर के 03 प्राथमिक @ उच्च माध्यमिक विद्यालय में डेस्क बेन्च का अवस्थापना कार्य।		5.9			
	Heeraganj Bazar Total		138.25	130.4	2.608	1.304	134.312
सुलतानपुर	Lambhua	वार्ड संख्या 12 सर्वोदयनगर में खेल मैदान का निर्माण कार्य।		35.62			

	Lambhua	नगर पंचायत लम्भुआ के विकासनगर वार्ड में पार्क का निर्माण कार्य।		96.83			
	Lambhua Total		140.16	132.45	2.649	1.3245	136.4235
जौनपुर	Rampur	वार्ड नं0 01 भामपुर में खेलकूद मैदान का निर्माण कार्य।					
	Rampur Total		113.00	94.9	1.898	0.949	97.747
						कुल	1317.15

(रूपये तेरह करोड़ सत्रह लाख पन्द्रह हजार मात्र)

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

(1) उक्त निर्गत की जाने वाली धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

(2) इस संबंध में शासनादेश संख्या-396710/नौ-4-2023-कम्प्यूटर नं0 1745384, दिनांक 27.09.2023 के माध्यम से आकांक्षी नगर योजना की गाइड लाइन्स के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त धनराशि संबंधित निकाय (नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

(3)अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही कार्यों हेतु व्यय की जायेगी ।

(4)धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(5)प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।

(6)धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(7)प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जाये तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भकिये जाये।

(8)कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(9)प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(10)कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत "डिस्पले बोर्ड" पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(11)कार्य पूर्ण होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू०सी०) प्रेषित करने से पूर्व कार्यों का भौतिक सत्यापन अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग एवं एक प्रशासनिक अधिकारी समिति से कराते हुए द्वितीय किश्त की मांग प्रेषित की जायेगी।

(12)लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(13)कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व, संबंधित निकायों के अधिशासी अधिकारी का होगा।

(14)इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।

(15)प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निकाय द्वारा नये एस०ओ०आर० के अनुसार आगणन का गठन कराते हुये उक्त आगणन अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग से प्रतिहस्ताक्षरित (सी०एस०) कराया जायेगा।

(16)प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(17)संबंधित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति (डूप्लीकेसी) नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।

(18)कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत "डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(19)व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज कोसमयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा ।

(20)इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य / वरिष्ठ

लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का(विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।

(21)इस सम्बन्ध में लघु सूक्ष्म एवं माध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(22)स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(23) निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा द्वारा 'सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के सम्बन्ध में नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-1319/नौ-9-21-45ज/21 दिनांक 30 जून, 2021 तथा यथासंशोधित शासनादेश संख्या-1124/ नौ-9-2025-45ज/2021-ई-1749112 दिनांक 04 जून, 2025 द्वारा नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत में निर्माण/विकास कार्यों को कराये जाने हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure SOP) में उल्लिखित व्यवस्था का अनुपालन किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 13,17,15,000 (रुपये तेरह करोड़ सत्रह लाख पन्द्रह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217808001200 आकांक्षी नगर योजना **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Digitally signed by RAVINDRA SINGH Date: 28-03-2026 18:05:45

भवदीय,

(रवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव

संख्या- /2026/ /001-E-1965728, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6. संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
7. संबंधित जिलाधिकारी।
8. संबंधित अधिशासी अधिकारी, उत्तर प्रदेश, (निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय के माध्यम से) ।
9. निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ ।
10. सहायक निदेशक (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त। (आय-व्ययक) ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन ।
12. गार्ड फाईल/काम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु ।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव